UPLK010145802023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी– प्रफुल्ल कमल (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP05926

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–6549/2023

(अंतर्गत धारा–439 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

प्रियाशुं कश्यप पुत्र बंसत कश्यप निवासी 56/05 काशीराम कॉलोनी थाना पारा जनपद लखनऊ .....**प्रार्थी/अभियुक्त**

प्रति

उ0 प्र0 राज्य .....**विपक्षी**

अ0सं0–495/2022
धारा–379, 411 भा0दं0सं0
थाना–कृष्णानगर, लखनऊ।

दि0–11.08.2023

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रियाशुं कश्यप की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभिरक्षा में रहते हुए थाना कृष्णानगर, जनपद लखनऊ के मुकदमा अपराध संख्या 0495/2023, अन्तर्गत धारा–379, 411 भा0द0सं0 में मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गोविन्द कुमार द्वारा दिनांक 26.09.2022 को समय 12.45 बजे सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि प्रार्थी/वदी मुकदमा अपनी गाड़ी एक्टिवा 3 जी, ब्लैक कलर, गाड़ी सख्या–यूपी 32जी0वाई06068 अवध कालिजिएट विद्यालय के सामने खड़ा करके अपने बच्चों को विद्यालय के अंदर छोड़ने गया था। जब प्रार्थी विद्यालय के बाहर अपने बच्चों को छोड़कर आया तो उसने देखा कि मेरी गाड़ी जगह पर नहीं थी फिर प्रार्थी ने विद्यालय के गार्ड से पूछताछ क और अपनी गाड़ी को इधर उधर ढूढ़ने का प्रयास किया परन्तु गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर प्रार्थी ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी और सूचना पर वहां पर पुलिस आयी और पैरवी करके चली गयी। गाड़ी में प्रार्थी का ए0टी0एम0 कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रार्थी का आई0 कार्ड, बैंक की पासबुक, चेक बुक लाइसेंस और प्रार्थी की पत्नी का आधार व पैन कार्ड प्रार्थी का पर्स जिसमें रू0 2000/ थे सहित गाड़ी के पेपर भी गाड़ी में ही मौजूद थे जो कि गाड़ी के साथ चोरी हो गये।

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा दिनांक 10.07.2023 को प्रार्थी/अभियुक्त के साथ अन्य सह अभियुक्तों को पकड़ा गया और इस मामलें से सम्बन्धित स्कूटी को बरामद किया गया तथा फर्द बरामदगी तैयार की गयी।

3. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गयी है, प्रार्थी/अभियुक्त इस मामलें में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है जो 800 रूपये बरामद होना बताया गया है वह प्रार्थी/अभियुक्त की पाकेट से उसके स्वंय के रूपये थे। प्रार्थी/अभियुक्त मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.07.2023 से कारागार में निरूद्ध है, उसे जमानत प्रदान करने की कृपा की जाये।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों एवं थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा की एक्टिवा 3 जी गाड़ी चोरी करने व चुराये गये माल की बरामदगी होने का अभियोग है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, मामला अज्ञात में पंजीकृत हुआ है, पुलिस द्वारा सह–अभियुक्त के बयान व अभियुक्त के संस्वीकृत बयान के आधार पर उसे मामले में संलिप्त दिखाते हुए एक ही फर्द के आधार पर अभियुक्त को अन्य चार मुकदमो में संलिप्त कर दिया है। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.07.2023 से जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में प्रकरण के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना जमानत का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रियांशु कश्यप** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **मु० 50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के **दो विश्वसनीय प्रतिभू** सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. अभियुक्त मुकदमें के विचारण के दौरान किसी प्रकार से विलम्ब कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त किसी प्रकार से साक्षियों पर दबाव नहीं बनायेगा और न ही उनको किसी प्रकार से प्रभावित करेगा।
3. अभियुक्त आरोप व बयान अं० धारा–313 दं.प्र.सं. के स्तर पर प्रत्येक दशा में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

दिनांक–11.08.2023.

(प्रफुल्ल कमल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–01,
लखनऊ।